# जी.एस.टी. इंस्पेक्टर को चार हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

## टीम को देखकर इंस्पेक्टर ने सड़क पर रुपए फेंक दिये

**पाली, (निसं)।** पाली एसीबी ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए जीएसटी के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि परिवादी से फर्म के कागजात को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई। फिलहाल एसीबी टीम कार्रवाई में जुटी है।

पाली शहर के वीडी नगर स्थित एसीबी द्वितीय के ऑफिस में एक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उसके फर्म के कागजात सही करने और जुर्माना माफ करने को लेकर जीएसटी विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर नरेंद्रसिंह रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इस पर एसीबी की ओर से शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज गुरुवार को एसीबी द्वितीय के एएसपी खींव सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम ने आरोपी जीएसटी इंस्पेक्टर नरेंद्रसिंह को 4 हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी जोधपुर रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस हरेन्द्र कुमार महावर के सुपरविजन में एसीबी पाली द्वितीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम को देखते ही आरोपी ने रिश्वत की राशि जेब से निकालकर सड़क पर फेंक दी। जो बरामद कर ली गई।

आरोपी जी.एस.टी. इंस्पेक्टर को एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया।

- **परिवादी से फर्म के कागजात को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई थी**

# दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास

**जालोर, (कासं)।** पॉक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने गुरूवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी जोगी नवीन को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के समक्ष रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी चौदह वर्षीय नाबालिग पुत्री व पुत्रवधु (दोनों ननद भाभी) 2 मई 2024 को दिन में करीब डेढ बजे घर से किसी को बिना बताये चली गई, जिसकी गुमशुदगी भाद्राजून थाना में दर्ज करवाई। गुमशुदगी के दौरान पुत्रवधु को 4 जुलाई 2024 को अहमदाबाद से दस्तयाब कर लाया गया। वहीं नाबालिग पीड़िता व आरोपी जोगी नवीन पुत्र नथूजोगी, निवासी दरसडी पुलिस थाना गढशीशा जिला कच्छ गुजरात से 14 अगस्त 2024 को पकड़कर थाना लाया गया। नाबालिग पीड़िता ने अनुसंधान के दौरान बताया कि वह और उसकी भाभी दोनों काम की तलाश में अहमदाबाद चले गये, जहां उनकी मुलाकात जोगी नवीन से हुई। उसके बाद वह आरोपी जोगी नवीन के साथ उनके गांव चली गई और उसके साथ खेती का काम करती थी। तथा उसके साथ राजीखुशी अपनी इच्छा से रही। पीड़िता ने अपने साथ लैंगिक हिंसा होने का कोई तथ्य नहीं बताया। पुलिस ने पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। पीड़िता को सखी सेंटर में रखते समय बाल कल्याण समिति के निर्देश से पीड़िता की सोनाग्राफी करवाई गई, जिसमें वह सोलह सप्ताह तीन दिन की गर्भवती होना पाया गया। आरोपी जोगी नवीन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के लिए सैम्पल एफएसएल के लिए भेजे। डीएनए रिपोर्ट में आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना पाया गया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से तेरह गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी जोगी नवीन को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए पाया कि आरोपी ने नाबालिग को मदद करने के भरोसे उसे अपने साथ रखकर उसके साथ बलात्कार किया तथा नाबालिग को सिखाकर दुष्कर्म का आरोप किसी अन्य पर लगा दिया। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट हुई कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का होने से आरोपी जोगी नवीन को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने की।

- **डीएनए रिपोर्ट में आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना पाया गया था**

**दो तस्कर गिरफ्तार :** कोटा में रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने 2167 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा तस्करी में फरार चल रहे चार-चार हजार के इनामी दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि मामले में फरार चल रहे दो इनामी आरोपी अमरकुंआ निवासी रमेशचन्द गुर्जर (35) और सांवरलाल उर्फ सांवरा गुर्जर (36) को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूर्व में भी कई तस्कर गिरफ्तार हो चुके है। वहीं पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है।


**कार्यालय नगर निगम जोधपुर उत्तर**

क्रमांकः– अग्नि/13/JFS/2024–25/13104510 दिनांकः– 26.01.2025

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना**

**(UB No. DLB2425WSOB15742)**

नगर निगम जोधपुर उत्तर की ओर से नागौरी गेट व मण्डोर फायर स्टेशन के छः अग्निशमन वाहनों का रखरखाव एंव संचालन हेतु निविदाऐं अनुभवी एंव योग्य प्रतियोगियों से e-tenderning प्रक्रिया से आंमत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते e-tenderning प्रक्रिया से आंमत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurmc.org एंव www.Sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर उत्तर

राज.संवाद/सी/24/11047



**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद धौलपुर**

SEWDSC.DHOLPUR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमाक-पीएमकेएसवाई-2.0/निविदा/2024-25/1624-27 दिनांक-20.01.2025

**NOTICE INVITING BID**
**NIB NO. 10 YEAR 2024-25**

Bids for NRM Works (ECD & MPT etc. under PMKSY 2.0 Project Area in Block Bari of Distt. Dholpur of estimated value INR 147.62 Lacs are invited from interested bidders up to 6.00 PM, 30.01.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in) of the state.
UBN- WSC2425WSOB01070, NIB-WSC2425A0512

(लाखन सिंह मीना)
अधीक्षण अभियन्ता
एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर
जिला परिषद धौलपुर

DIPR/C/963/2025



राजस्थान सरकार
**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**
**प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, भीनमाल रोड, जालोर**

क्रमांक-अ.अ./चि.एवं स्वा./2024-25/3716-26 दिनांक-20.01.2025

**ई-निविदा सूचना संख्या 19/2024-25**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों पर रू. 90.15 लाा के 4 सिविल कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के समका हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डिरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण डीआईपीआर की वेबसाईट WWW.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेबसाईट http://rajswasthya.nic.in पर देा जा सकता है। NIB NO. MHS2425A3205
1. MHSWSOB04601, 2. MHSWSOB04602, 3. MHSWSOB04603, 4. MHSWSOB04604

(विनोद कुमार स्वामी)
अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालोर

DIPR/C/916/2025


# फर्जी डिप्लोमा और जालसाजी मामले में डॉक्टर सहित दो पर मुकदमा दर्ज

**अजमेर, (कासं)।** माखुपुरा स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. बालकिशोर शर्मा और उनके सहयोगी पीयूष कुमार पांडे के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से ठगी करने के आरोप में अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपियों पर युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने और जाली डिप्लोमा प्रमाण पत्र देने का आरोप है।

एडवोकेट शंकरलाल मेघवंशी और एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू ने बताया कि युवराज सिंह नामक व्यक्ति की मुलाकात श्री बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. बालकिशोर शर्मा से हुई। डॉक्टर ने उसे डिप्लोमा इन रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कराने और इसके बाद सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके लिए लगभग चार लाख रुपए का खर्च बताया गया। युवराज सिंह ने अपने पिता ज्ञान सिंह की मौजूदगी में चार लाख की राशि डॉ. शर्मा को सौंप दी। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि दो साल बाद परीक्षा दिलाकर डिप्लोमा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे। दो साल बीतने के बाद जब युवराज सिंह ने संपर्क किया, तो डॉक्टर ने बहाना बनाया कि प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। इस दौरान डॉक्टर ने युवराज की बहन के लिए भी कोर्स कराने का प्रस्ताव रखा, जिससे युवराज सिंह ने बहन के पति डूंगर सिंह के खाते से 75 हजार और 85 हजार डॉक्टर शर्मा के खाते में जमा कराए। इसके अलावा पिता ज्ञान सिंह ने 2 लाख 40 हजार नकद दिए और बहन के दस्तावेज भी डॉक्टर को सौंपे। डॉक्टर ने कहा कि शीघ्र ही कोर्स पूर्ण करवाकर परीक्षा दिलवा दी जाएगी, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब परिवादी ने बार-बार संपर्क किया और अपने 8 लाख लौटाने की मांग की, तो डॉक्टर ने पांच सौ के नोटरी प्रमाणित इकरारनामे पर आश्वासन दिया कि दो महीने के भीतर डिप्लोमा प्रमाण पत्र दे देंगे, अन्यथा 13.2 लाख लौटाने की बात कही। समय बीतने के बाद जब युवराज ने फिर से संपर्क कियाए तो डॉ.शर्मा ने सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें सौंप दिए और कहा कि इन्हें ले लो, वरना झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा और जेल भिजवा दूंगा। उन्होंने अपनी ऊंचे पदों पर जान पहचान होने का हवाला देकर डराने की कोशिश की।

पीड़ित युवराज सिंह ने पुलिस में शिकायत दी,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद पीडित् ने न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार कोमल भाटी ने आदर्श नगर थाने को आदेश दिया कि डॉ.बाल किशोर शर्मा और पीयूष कुमार पांडे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

- **आरोपियों पर युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने और जाली डिप्लोमा प्रमाण पत्र देने का आरोप है**

# करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

**डूंगरपुर, (निसं)।** दोवड़ा थाना क्षेत्र के नया गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में सिंचाई करते समय बिजली के तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला किसान की मौत हो गई। मृतका की पहचान नया गांव पुनाली निवासी सीता पत्नी बसु ननोमा के रूप में हुई है।

घटना उस समय हुई जब सीता खेत में फसलों को पानी दे रही थी। अचानक वह बिजली लाइन के संपर्क में आ गई और तेज करंट का झटका लगने से नीचे गिर पड़ी। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने तुरंत उन्हें डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला के 10 वर्ष का एक बच्चा है।

उनके पति अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। देवल स्थित मृतका के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। दोवडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

# मादक पदार्थ मामले में फरार दो इनामी गिरफ्तार

**कोटा, (निसं)।** कोटा शहर के दो अलग-अलग थाना इलाकों में पुलिस टीम ने मादक पदार्थ मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी आधार व मुखबीर की सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार एक हजार के इनामी आरोपी पनवाड़ जिला झालावाड़ हाल शिवपुरी निवासी ओमप्रकाश (40) को गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि कुन्हाडी थाने के उपनिरिक्षक भंवरलाल ने सात जनवरी को कार्यवाही करते हुए बालापुरा निवासी अनिल को 300 ग्राम गांजा सहित पकड़ा था, जिसका अनुसंधान नयापुरा थाने की उपनिरीक्षक संतोष चन्द्रावत कर रही थी। पकड़े गये आरोपी अनिल से अनुसंधान में अवैध मादक पदार्थ गांजा कासिम बेग से खरीद कर लाना बताया, वहीं आरोपी कासिम बेग मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा दो हजार के इनाम की घोषणा की गई।


**Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd.**

(A Government of Rajasthan Undertaking) Old Working Women Hostel, Behind Nehru Place, LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015 Ph: 0141-2742240; E-mail: rudsico@rajasthan.gov.in, ruifdco@gmail.com; Web: urban.rajasthan.gov.in/rudsico

F18 (52) RUDSICO/AMRUT-2.0/2024-25/Tender/621 Date :- 29/01/2025

**NIB No. 10/2024-25**

**Notice inviting online bid for Rejuvenation of Water Body Project under AMRUT-2.0**

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage & infrastructure Corporation Limited (RUDSICO), a Government of Rajasthan undertaking, invites online unconditional bids on behalf of the Governor of Rajasthan through e-procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in from eligible bidders in accordance with the RTPP Act 2012 and RTPP Rules 2013, amended up to date, and under Open Competitive Bidding (OCB) National with single stage-two envelope Bidding procedure for following works:

| S. No. | Name of Work | Project Cost | Bid Security | Period of completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejuvenation of Water Body projects at Jodhpur North, Nagaur, Bilara & Beawar Package - AMRUT 2.0/RAJ/RWB/03 | 11.92 | 0.238 | 15 months |

The details of NIB can be seen at e-procurement portal of state government sppp.rajasthan.gov.in and eproc.rajasthan.gov.in from date 30.01.2025 at 1700 Hours till the end date of online submission of bids i.e. 24.02.2025 up to 1500 Hours. Any subsequent addendum/corrigendum shall be published only at the e-procurement portal.

UBN No. : RDP2425WLOB00164, NIB Code : RDP2425A0037

Executive Director
RUDSICO, Jaipur

Raj.Samwad/C/24/11037



**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत बारां**

क्रमांक-अअ/वृत/बारां/2024-25/2568-75 **निविदा सूचना संख्या 06/2024-25** दिनांक-08.01.2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत खोली जावेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क/धरोहर राशि निविदादाता द्वारा ईग्रास के माध्यम से चालान की प्रति इस कार्यालय में 31.01.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवाना होगा। विभाग में पंजिकृत स्थाई संवेदक/फर्म का पुनरावलोकन जीवित नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।

उक्त निविदा एसपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाईट पर देखे जा सकते है-
1. http://www.eproc.rajasthan.gov.in, 2. http://sppp.rajasthan.gov.in

| निविदा संख्या | कार्य का विवरण | अनुमानित राशि (लाखों में) | धरोहर राशि | | निविदा/प्रक्रिया शुल्क (रूपये में) | | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2% | 0.50% | Tender Fees | RISL Fees | |
| 06/2024-25 | Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Chhabra UBN NO.: PHE2425WSRC08074 | 100.00 | 200000/- | 50000/- | 2000/- | 1500/- | 12 माह |

"जल ही जीवन है"

(आलोक कुमार गुप्ता)
अधीाण अभियंता
जन स्वा.अभि. विभाग, वृत बारां

DIPR/C/1011/2025


# बजरी खनन का फरार आरोपी गिरफ्तार

**बौंली-बामनवास, (निसं)।** सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बौंली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन व परिवहन वाहन के करीब एक वर्ष से फरार चल रहे आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। बौंली थाना प्रभारी राधारमन गुप्ता ने बताया कि 11 जनवरी 2024 को हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह ने दौराने गस्त ग्राम थडोली से अवैध बजरी खनन व परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया था। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया था। इस आरोपी रामलाल मीणा ग्राम शिवाड़ थाना चौथ का बरवाड़ा को अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी की टीम ने भाडौती कस्बे से गिरफ्तार किया है।

# बाइक नहर में गिरी, छोटे भाई की मौत

## बड़े भाई ने तैरकर बचाई जान, घर से 25 किमी दूर हुआ हादसा

**डूंगरपुर, (निसं)।** अहमदाबाद से घर लौट रहे दो सगे भाइयों की बाइक घर से 25 किमी दूर अनियंत्रित होकर सोमकमला आम्बा बांध की दांई नहर में गिर गई। हादसे में छोटे भाई की डूबने से मौत हो गई। हादसे में बड़े भाई ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसा आसपुर थाना क्षेत्र में टोकवासा मोड पर गुरुवार सुबह पांच बजे हुआ।

सीआई तेज सिंह ने बताया कि सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के गदेया गांव निवासी शंकरलाल और कांतिलाल दोनों सगे भाई थे। दोनों अहमदाबाद में मजदूरी करते थे। शंकरलाल छोटे भाई कांतिलाल के साथ रात आठ बजे अहमदाबाद से बाइक से अपने गांव गदेया आ रहा था। इस दौरान घर से 25 किमी दूर टोकवासा मोड़ पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर एबीसी नहर में गिर गई। तभी शंकरलाल ने तैरकर अपनी जान बचाई और कांतिलाल पानी में डूब गया, जिसके बाद शंकरलाल ने बाहर आकर वार्ड पंच केशवलाल को फोन कर मदद मांगी। वहीं घटना की सूचना आसपुर पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर का पानी बंद करवाकर कांतिलाल की तलाश शुरू की। कांतिलाल का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसे प्रशासन ने बाहर निकाला और सीएचसी आसपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल शंकरलाल का इलाज सीएचसी में चल रहा है।

दोनों भाई अहमदाबाद में लौट रहे थे। कांतिलाल की शादी पांच साल पहले हुई थी और उसकी 2 साल की बेटी है। कांतिलाल के पिता गेबा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

- **दोनों भाई अहमदाबाद में लौट रहे थे, कांतिलाल की शादी पांच साल पहले हुई थी और उसकी दो साल की बेटी है**


**राजस्थान आवासन मण्डल**
हमारा प्रयास - सबको आवास

**एमएनआईटी फैकल्टी रेजिडेंसी फेज-5**

लोकेशन व पुस्तिका के लिए स्कैन करें

**बहुमंजिला फ्लैट्स**

एन आर आई सर्किल के पास, सेक्टर-26, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

पुस्तिका लोकेशन

• एमएनआईटी में सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक एवं अधिकारी/केन्द्र एवं राज्य सरकार के महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान / स्किल डवलपमेंट कॉलेज / विश्वविद्यालय / मेडिकल कॉलेज / इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलिटेक्निक कॉलेज / प्रशिक्षण कॉलेज के सेवारत शिक्षक / एमएनआईटी के पूर्व छात्र या उनके पति / पत्नी जो वर्तमान में केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार में सेवारत / राज्य अथवा केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त डॉक्टर्स

• राज्य सरकार के पेमैट्रिक्स 14 और इससे अधिक एवं केन्द्र सरकार के श्रेणी "ए" सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। *नियम एवं शर्तें आवेदन पुस्तिका अनुसार

स्ववित्त पोषित योजना

| आय वर्ग | फ्लैट्स संख्या | सुपर बिल्ट अप एरिया (वर्ग फीट में) | प्रावधान | अनुमानित लागत (रु. लाख में) प्रति फ्लैट |
|---|---|---|---|---|
| HIG-I | 17 | 3489 | 3BHK+ सर्वेंट रूम | 144.50 |
| HIG-II | 8 | 3625 | 3BHK+ सर्वेंट रूम | 152.35 |
| HIG-III | 7 | 2543 | 2BHK | 104.65 |
| HIG-IV | 3 | 2580 | 2BHK+ सर्वेंट रूम | 103.75 |

Online आवेदन प्रारम्भ 1 फरवरी 2025
आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025

सुविधाएं: • क्लब हाउस • बैंक्वेट हॉल • जिम • स्पा • स्विमिंग पूल • टेनिस कोर्ट • लैंड स्केपिंग • फ़ायर फाइटिंग सिस्टम • इंडोर गेम्स • गेस्ट हाउस • रेन वॉटर हार्वेस्टिंग • सुरक्षा गार्ड • एलईडी लाइट्स

हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009, कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 9460254319, कमल कुमावत (6376868696) या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन (9828363615) से सम्पर्क करें

RERA Reg. No. RAJ/P/2022/1996 | Website: https:://rera.rajasthan.gov.in

अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए RHB की वेबसाइट https://rhb.rajasthan.gov.in देखें।

आवासन आयुक्त

राज.संवाद/सी/24/11059


# पानी की टंकी में अवैध कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, 20 घायल

## एक पक्ष ने बुजुर्ग के सीने में गोली मार दी, जो बुजुर्ग के फेफड़ों में फंस गई

**अलवर, (निसं)।** पानी की टंकी में अवैध कनेक्शन लेने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने बुजुर्ग के सीने में गोली मार दी। गोली बुजुर्ग के फेफड़ों में फंस गई। परिजनों ने उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। इस विवाद में दोनों पक्षों के 20 लोग घायल हो गए, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल है। 14 लोगों का अलवर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खेरली पंचनोत गांव में हुई। विवाद की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मालाखेड़ा एसएचओ हितेश शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बिछाई गई पानी की पाइप लाइन में अवैध कनेक्शन को लेकर झगड़ा हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों परिवारों में जमीन की तारबंदी को लेकर पुरानी रंजिश थी। सभी लोग एक ही दादा के परिवार के हैं। इस घटना के दौरान भगवान सिंह (63) को गोली लग गई। वह पेशे से किसान हैं और खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। भरत सिंह के पक्ष से करीब 10 लोग घायल हुये हैं। इनकी पहचान महावीर सिंह, हनुमान सिंह, मीना कंवर, दीपेंद्र सिंह, सतवीर सिंह, दशरथ सिंह, लक्ष्मी के रूप में हुई है।

एसएचओ हितेश शर्मा ने बताया कि दूसरे पक्ष के भगवान सिंह (63) को गोली लगी है। इसके अलावा दीनदयाल (68), भैरू सिंह, जगदीश सिंह, गणेश, सीताराम और रसाल घायल हैं। इनमें से 10 से ज्यादा लोगों के सिर, नाक और मुंह पर चोटें आई हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

- **घायल 14 लोगों का अलवर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है**

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।